राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(मिनिरत्न कम्पनी-भारत सरकार का उपक्रम)
(CIN : U74899DL1963GOI003913)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला – श्रीगंगानगर (राज0)
दूरभाष : 01509.220084, 220006, 221420,
मुख्यालय – बीज भवन, पूसा परिसर,
नई दिल्ली–12

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963GOI003913)
Central State Farm, Suratgarh
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 01509-220084, 220006, 221420,
E-mail – csf.suratgarh@indiaseeds.com
H.O. : Beej Bhawan, Pusa complex, New Delhi –12

क्र.: सीएसएफ/एसओजी/कृषि/2-271/जुली/2025 दिनाँक: 02.08.2025

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राज.) द्वारा फार्म के खंड-2 व 3 के चकों में विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की झाड़ियाँ जड़ समेत काटकर “जहाँ है जैसा है” के आधार पर ले जाने के लिये इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियों से सीलबंद ऑफलाइन निविदाएँ दिनाँक 12.08.2025 को दोपहर 01:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं जो उसी दिन (दिनाँक 12.08.2025) दोपहर 03:00 बजे खोली जायेंगी | निविदाएँ देने से पहले NEFT/RTGS/Online माध्यम से (जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** के नाम देय हो) रु. 236/- निविदा फॉर्म राशि व रु. 10,000/- प्रति चक के हिसाब से धरोहर राशि के रूप में जमा करवानी होगी | निविदादाता को आधार कार्ड, पैन कार्ड की प्रति देनी होगी | निविदा हेतु विस्तृत विवरण, निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्तें निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती हैं | निविदा की प्रति तथा नियम-शर्तें किसी भी कार्य दिवस में सुबह 09:30 बजे से सायं 05:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं |

प्रबंधक (उत्पादन)

Check list for Technical Requirement of Tender

Particulars	Details
Name of the Tenderer	
Father Name of the Tenderer	
Full Address of the Tenderer	
Mobile No. of the Tenderer	
Copy of Pan Card	
Copy of ID Proof i.e. Aadhar Card/Driving License etc.	
Copy of Bank Passbook	

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के तीनों खण्ड़ों के विभिन्न चकों पर खड़ी विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की झाड़ियों को जड़ समेत काटकर ले जाने हेतू नियम एवं शर्ते।

1. निविदादाता को निविदा में भाग लेने से पूर्व NEFT/RTGS/**ऑनलाइन के माध्यम से <u>रु0 10,000/– मात्र प्रत्येक चक के हिसाब</u>** से धरोहर राशि व रु. 236/- **निविदा फॉर्म राशि** के रुप में **फार्म खाते में (नियम-शर्त क्रमांक 26 के अनुसार) जमा कराना** होगा, बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा मान्य नहीं होगीं।
2. निविदादाताओं को अपना स्थायी **पते** का **साक्ष्य (आधार कार्ड)**, पैन कार्ड व बैंक पास बुक की छायाप्रति जिस पर आईएफएससी कोड़ अंकित हो **को** निविदा के साथ संलग्न करनी अनविार्य हैं।
3. **सफल निविदादाता को समझौते के साथ सुरक्षा राशि** (security money) रु. 10,000/- **जमा करवानी होगी | उक्त राशि में EMD की राशि भी समायोजित की जा सकती है |** सफल निविदादाता के द्वारा जमा की गई धरोहर/**सुरक्षा राशि** कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के बाद ही लौटाई जायेगी, जिस पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
4. निविदा की उच्च निविदा दर की स्वीकृति/अस्वीकृति एक सप्ताह के अंदर घोषित कर दी जायेगी। **फार्म प्रमुख** को बिना कारण बताये किसी एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
5. ठेकेदार को जो उक्त कार्य आवंटित किया गया है, वह दूसरे ठेकेदार को कार्य सबलेट नही करेगा तथा उस कार्य क्षेत्र मे वह संदिग्ध व्यक्तियों को नही रखेगा। उक्त कार्य पर लगाये जाने वाले प्रतिनिधि, जिसको वह कार्य करने के लिए अधिकृत करता है, उसके हस्ताक्षर मय फोटो **<u>अखरे रूपये पचास के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी</u>** से तस्दीक करवाकर, उसकी मूल प्रति देगा तथा छाया प्रति जोकि वह फार्म पर कार्य के दौरान अपने पास अवश्य रखेगा व कार्य स्थल पर मांगने पर दिखायेगा ।
6. विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की झाड़ियां **जमीनी** सतह से काटकर कुत्तर बनाने **की** दर प्रति क्विंटल **देनी** होगी, सरकार के द्वारा यदि किसी भी प्रकार का कर इस कार्य पर देय होगा, तो खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा।
7. कटाई का कार्य एक सिरे से **चक प्रभारी व खंड प्रभारी द्वारा साप्ताहिक आवंटित किये गये क्षेत्र के अनुसार** करना होगा, एवं **आवंटित क्षेत्र में** छोटा–मोटा जो भी जूलीफ्लोरा खड़ा है उसे काट कर कुत्तर बनाकर ले जाना होगा। पूरा कार्य चक इन्चार्ज **व खंड प्रभारी** की देख-रेख एवं **निर्देशानुसार** करना होगा।
8. विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की झाड़ियां **जमीनी** सतह से काटकर कुत्तर बनाने **का कार्य चक रोड एवं खाली क्षेत्र** में **ही किया जाना है । चकों** में **हुई बीजाई के दृष्टिगत चकों के बीच में यह कार्य नहीं होगा । यदि अनुबंध की समयावधि में फसल की कटाई हो जाती है व खेत खाली हो जाते हैं तब उस दशा में ठेकेदार को तुरंत फसल कटाई के बाद बीच के क्षेत्र से भी जुलीफ्लोरा की कटाई आवश्यक रूप से करनी होगी | विशेष परिस्थितियों में** कार्य का क्षेत्र घटाया/बढ़ाया जा सकता है।
9. विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की **झाड़ियों को जड़ सहित निकालकर ठेकेदार को ले जाना होगा जिसके लिये ठेकेदार को सूरतगढ़ फार्म कार्यालय से अग्रिम रकम जमा करवाकर रिलीज़ आर्डर लेना होगा | अंतिम रिलीज़ आदेश से पूर्व 100.00 क्विटल भार से कम का रिलीज़ आर्डर जारी नहीं किया जायेगा |**
10. **ठेकेदार को जुलिफ्लोरा की जमीनी सतह से ऊपर की कटाई का कार्य करने के बाद जड़ों को निकालने का कार्य भी अधिकतम 10 दिनों के अंतराल पर करना अनिवार्य होगा | यदि विशेष परिस्थितियों (प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियाँ इत्यादि) में जड़ निकालने का कार्य करना संभव न हो उस दशा में सामान्य परिस्थितियाँ होते ही तुरंत जड़ निकालने का कार्य प्रारंभ करना होगा | जुलीफ्लोरा की जड़ों को निकालने के बाद बने गड्ढों को भरकर समतल करना अनिवार्य होगा |**
11. वाहनों को आने जाने के लिये जो रास्ता निर्धारित है ठेकेदार उसी का उपयोग करेगा, वह अलग से कोई रास्ता नहीं बनाऐगा। ठेकेदार या उसका आदमी किसी भी प्रकार का झगड़ा/विवाद फार्म कर्मचारी के साथ नहीं करेगा। ठेकेदार या उसके आदमीयों द्वारा किसी प्रकार का नुकसान फार्म को किया गया तो उसका सम्पूर्ण जिम्मेवार ठेकेदार ही होगा तथा निदेशक द्वारा लगाया गया दण्ड/जुर्माना, ठेकेदार द्वारा देय होगा।

12. ठेकेदार द्वारा यदि संभव है, तो पूरी ट्राली को एक ही दिन में भरकर तोलकर ले जाना होगा | यदि ट्राली किसी कारणवश एक दिन में नहीं भरती है तब उस दशा में ठेकेदार को आधी भरी हुई ट्राली को खंड प्रभारी के आदेशानुसार उसके (ठेकेदार के) कार्यक्षेत्र के निकटवर्ती सुरक्षित जगह पर खड़ा करना होगा जिसकी सूचना संबंधित हेड गार्ड को देनी होगी |खंड-1 के कटाई किये गये जुलिफ्लोरा का वजन खंड-1 के धर्मकांटे पर व खंड-2, 3 में कटाई किये गये जुलिफ्लोरा का वजन खंड-2 के धर्मकांटे पर करना होगा |

13. ठेकेदार द्वारा जुलिफ्लोरा की कटाई कर तोलने से पूर्व फार्म खाते में धनराशि जमा करवाकर व उचित गेट पास द्वारा ही जुलीफ्लोरा कुत्तर व जडें ले जाने की अनुमति होगी।

14. ठेकेदार फार्म में विलायती कीकर (जुलीफ्लोरा) के अतिरिक्त खड़े या गिरे हुए पेड़ों की शाखाओं की लकड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुँचायेगा | यदि उसके द्वारा कोई नुकसान पहुँचाया जाता है तब नियम-शर्त संख्या 16 के अनुसार फार्म द्वारा कार्यवाही की जायेगी |

15. लदाई/उतराई व कुत्तर बनाते समय या इसके अतिरिक्त कोई भी कार्य करते समय कोई दुर्घटना हो जाये तो इसके लिए पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी, फार्म कतई जिम्मेवार नहीं होगा। ठेकेदार के श्रमिकों के हर प्रकार की जिम्मेंवारी जैसे Insurance & Driving License इत्यादि पूर्ण रूप से ठेकेदार की होगीं।

16. यदि ठेकेदार द्वारा टेन्डर की नियम-शर्तों की अवहेलना की जाती है या फार्म संपत्ति/खड़े या गिरे हुए पेड़ व उसकी शाखाओं को नुकसान पहुंचाया जाता है तो ठेकेदार का कार्य तुरंत प्रभाव से रोक दिया जायेगा, फार्म द्वारा जाँच के उपरांत यदि यह पाया गया की ठेकेदार या उसके श्रमिक की गलती के कारण फार्म को नुकसान पहुँचा है तब ठेकेदार की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी व गलती की गंभीरता के अनुसार फार्म द्वारा जुर्माना लगाकर काली सूची में डाला जा सकता है |

17. ठेकेदार द्वारा अनुबंध किये गये चक पर जुलीफ्लोरा की कटाई व कुत्तर का कार्य पूर्ण होने से पहले बिना किसी संतोषजनक कारण के कार्य रोक दिया जाता है तब उसे फार्म द्वारा एक चेतावनी पत्र जारी किया जायेगा, उसके उपरांत भी यदि ठेकेदार कार्य रोक कर रखता है तब उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा साथ ही उसकी धरोहर/सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी व ठेकेदार को काली सूची में भी डाला जा सकता है | चक पर शेष बच हुआ कार्य उन्ही दरों पर अन्य ठेकेदार से करवाया जायेगा |

18. कार्य का समय सुबह 8 बजे से सायं 05:15 बजे तक होगा। जुलिफ्लोरा की झाड़ियों व जड़ो को ले जाने हेतु तुलाई का कार्य सायं 05:15 बजे से पूर्व करना होगा। असामान्य स्थिति में जैसे ट्रैक्टर, ट्राली खराब इत्यादि होने पर ठेकेदार को संबंधित खंड प्रभारी, चक प्रभारी व सुरक्षा हेड गार्ड को सूचित करना होगा |

19. विशेष परिस्थितियों में या फार्म हित में कार्य की आवश्यकता के मध्यनजर कार्य करने का समय सायं 05:15 बजे से श्रीमान फार्म प्रमुख की अनुमति से बढाया जा सकता है |

20. कार्य के दौरान ठेकेदार के द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इसके लिए फार्म कतई जिम्मेदार नहीं होगा।

21. वर्क आर्डर जारी होने के बाद कार्य को 10 दिनों मे शुरू करना होगा अन्यथा आवंटित कार्य रद्द कर अन्य इच्छुक ठेकेदार को दे दिया जायेगा व धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

22. वेस्ट मैटिरियल, कॉटे इत्यादि को जलाकर साफ करना अनिवार्य होगा तथा इसके बाद ही आगे कार्य करने दिया जायेगा। फार्म क्षेत्र में कोई पशु नहीं रख सकता।

23. आवंटित कार्य को पूरा करने की अवधि 30 जून 2026 तक रहेगी जिसे श्रीमान फार्म प्रमुख की अनुमति के बाद बढाया जा सकता है |

24. फार्म के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ यदि ठेकेदार या उसकी लेबर के द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म प्रमुख का निर्णय अतिंम होगा।

25. कार्य शुरू करने से पहले ठेकेदार को 500-00 रूपये का स्टाम्प पेपर अपने खर्चे से खरीद कर, सभी शर्तों को वर्णित कर अपने हस्ताक्षर करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगा कि उसे सभी शर्तें मान्य है तथा इसके अनुसार ही कार्य करूँगा।

26. फर्मो द्वारा भुगतान केवल RTGS/NEFT या अन्य ऑनलाइन माध्यम से फार्म खाते में जमा करना होगा। फार्म खातों का विवरण निम्न प्रकार है –

Account No : 34056542572
IFSC Code : SBIN0007774
Name of Account holder: NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD SURATGARH
Bank Name : **State Bank of India, Suratgarh**

27. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय–समय पर संषोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करनें के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध **निदेशक** इस मुद्दे को हल करनें के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

पार्टी का नाम / हस्ताक्षर

दिनाँक : 12.08.2025

<u>निविदा - प्रपत्र</u>

श्रीमान फार्म प्रमुख
केन्द्रीय राज्य फार्म,
सूरतगढ़ (राज0)।

चकों पर विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की **झाडियों को काटकर जड़ समेत** ''जहॉं है जैसा है'' के आधार **पर ले जाने** के लिए टेण्डर फार्म **-**

क्रम संख्या	**खंड संख्या**	**चक संख्या**	**जड़ों समेत जुलीफ्लोरा को काटकर ले जाने हेतु रकम प्रति क्विंटल, रुपयों में (जो निविदादाता द्वारा फार्म को दी जानी है)**
1	2	RPM 1	
2	2	RPM 3	
3	2	RPM 4	
4	2	31A PBN	
5	2	31B PBN	
6	2	33 PBN	
*7	3	3 SGM+EPO+HQ+Bhagwansar Godown	
8	3	4 SGM	
9	3	5 SGM	

<u>*नोट :</u> क्रम संख्या 7 में अंकित चक 3 **SGM**, **EPO, HQ** व भगवानसर गोदाम को जुलिफ्लोरा की झाडियों व जड़ो को ले जाने के कार्य हेतु एक ही यूनिट में रखा गया है। उक्त कार्य हेतु एक ही **EMD** जमा करवानी होगी।

ठेकेदार के हस्ताक्षर ....
ठेकेदार का नाम व पता..
....
मोबाईल नं0 ....